02/06/2023

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (NGT)
नई दिल्ली

विषय : शिकायत वापसी हेतु पट्टेदार द्वारा प्रताड़ित करनें, जान से मारने की धमकी देने एवं फर्जी कूट रचित एफआईआर दर्ज करानें की शिकायत बावत्।

संदर्भ : Original Application No. 117/2023 Gaurav Kumar Gupta V/s State of Chhattisgarh.

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ एमसीबी के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी तिवारी एवं उनकी पत्नी राधिका तिवारी द्वारा संचालित क्रेशर एवं खदान में अनियमितता एवं अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायत की गई थी जिस पर उक्त संदर्भित प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था, और जांच की जा रही थी जिसे नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी पूरी तरह क्षुब्ध और कुंठित है।

चूंकि नगर पालिका उपाध्यक्ष का राजनीतिक कद बडा है और वह सत्ताधारी पार्टी के बडे नेता है वह नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ के वर्तमान नगरउपाध्यक्ष भी है, इस वजह से उनका पूर्णतः प्रभाव लोकल प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद पर है, उनके द्वारा मुझे लगातार धमकी दी जा रही है, कि उक्त शिकायत वापस लो नही तो तुम्हे और तुम्हारे परिवार के लोगों को जान से मरवा देंगे या तुम्हारे खिलाफ संगीन धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करा देंगे लेकिन उनकी धमकी का मुझ पर कोई भी असर नही हुआ और मैनें शिकायत सें संबंधित कोई भी समझौता उनसे नही किया जिससे वह पूर्ण रूपेण कुंठित हुए एवं नगरपालिका परिषद के माध्यम से मुझ पर एवं मेरे छोटे भाई पर कूटरचित तरीके से फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई, एफआईआर दर्ज होने के पूर्व में ही मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों को पत्र के माध्यम से कूटरचित एफआईआर के बारे में सूचित किया गया था लेकिन बिना किसी जांच के मुझ पर तत्काल राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज कर दी गई माननीय मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को उक्त शिकायत की वजह से मानसिक रुप से प्रताडित किया जा रहा है जिससे मैं और मेरा परिवार काफी भयभीत और डरा हुआ है एवं मुझ पर एवं मेरे परिवार जनों पर खतरा बना हुआ है।

कृ.प.उ.

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी एवं मेरे परिवार की सुरक्षा हेतु न्यायोचित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद्..

प्रतिलिपि :

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भोपाल

संलग्न :

1. एफआईआर की प्रति।
2. O/A No. 117/2023 की
3. लोकल समाचार की प्रति।
4. एफआईआर के संबंध में पुलिस प्रशासन को दी गई अग्रिम सूचना की प्रति।

आवेदक

02/06/23

गौरव कुमार गुप्ता
पुरानी बस्ती, मनेन्द्रगढ़,
जिला एमसीबी (छ.ग.)
मो. 9407744830

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- **P.S. (थाना):** मनेन्द्रगढ़ **Year (वर्ष):** 2023

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0187

Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 07/05/2023 21:10 बजे

2.

S.No. (क्र.	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	34
2	भा दं सं 1860	427
3	लोक सम्पत्ति का नुकसानी का निवारण अधिनियम,1984	3

3. **(a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** रविवार

Date From (दिनांक से): 04/05/2023 **Date To (दिनांक तक):** 04/05/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 12:30 बजे

Time To (समय तक): 12:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 07/05/2023 **Time (समय):** 21:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्ट सं.):** 002

Date & Time (दिनांक और समय): 07/05/2023 21:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व 0.500 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जोडा तालाब वा क्र 17 के पास नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ का, बाउण्ड्रीवाल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): इसहाक खान

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व.इनायत करीम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	आवासीय वर्तमान पता	, , CMO नगर पालिका परिषद , मनेन्द्रगढ , मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़, भारत
2	आवासीय स्थायी पता	, , CMO नगर पालिका परिषद , मनेन्द्रगढ , मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):नौकरीपेशा

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9340261190

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सौरभ गुप्ता		पिता :	मनेन्द्रगढ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़
2	गौरव गुप्ता		पिता :	मनेन्द्रगढ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़

8. **Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No.	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10 **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):** 0

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12 **First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मै नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ द्वारा बनाई गई बाउण्ड्रीवाल को गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता द्वारा तोडवाकर क्षति पहुंचाने के संबंध मे एक लिखित आवेदन पत्र पेश करता हूं, आवेदन पत्र नकल जैल है। कार्यालय नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी (छ.ग.) क्रमांक/321/रा.शा./न.पा./2023 मनेन्द्रगढ दिनांक 04/05/2023 प्रति, नगर निरीक्षक सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ, जिला एमसीबी (छ.ग.), विषय- प्राथमिकी सूचना दर्ज कर कार्यवाही करने के संबंध मे मै इसहाक खान मुख्य नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी (छ.ग.) का निम्नलिखित निवेदन करता हूं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ महोदय के यहां आवेदन प्रस्तुत की गयी थी जिससे स्थगन आदेश जारी किया गया था लेकिन उससे पूर्व पूरी बाउण्ड्रीवाल निर्माण हो चुका था श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मनेन्द्रगढ महोदय द्वारा रा.प्र.क्र. 202201010400010 ब. 121(2021-22 को दिनांक 27/04/2023 को निरस्त कर दिया गया है (4) यह कि दिनांक 04/05/2023 को पार्क का चौकीदार/सफाई कर्मचारी डमरुलाल ने लिखित से सूचना दिया कि नगर पालिका परिषद द्वारा बनायी गयी बाउण्ड्रीवाल को गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता द्वारा लगभग 10 से 15 फिट लम्बा बाउण्ड्रीवाल अपने मजदूर लगवाकर तोडवा दिया गया है उसके सूचना के पश्चात मै एवं नगर पालिका के अन्य जिम्मेदार लोग जाकर देखे तो 10 से 15 फिट बाउण्ड्रीवाल टूटा हुआ था एवं गेट का ताला भी टूटा हुआ था उपरोक्त दोनो व्यक्तियो द्वारा चौकीदार को गेट मे ताला लगाने से मना किया गया था लेकिन चौकीदार द्वारा ताला लगाने के बाद उसके द्वारा तोड दिया गया है। यह कि गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता द्वारा दीवाल तोडकर नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ को लगभग 10से 15 हजार रुपये का नुकसान पहुचाया गया है एवं इस तरह दोनो भाइयों द्वारा लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है एवं नगरपालिका के सार्वजानिक कार्य में बार बार बाधा पहुंचाया गया है। श्रीमान चूंकि गौरव गुप्ता एवं सौरभ गुप्ता तथा दया गुप्ता का मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है एवं तालाब में भी अतिक्रमण किया गया है तथा और तालाब पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अत: अनुरोध है कि प्राथमिकी सूचना दर्ज कर लोक सम्पत्ति का क्षति पहुंचाने के लिए सौरभ गुप्ता एवं गौरव गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना विधि सामान कार्यवाही करने का कष्ट करे हस्ताक्षर अस्पष्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ जिला एमसीबी (छ.ग.).

13 **Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)**

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): **No. (सं.):**

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)

(4) Tranferred to P.S.(थाना):
District (जिला):
on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

VINAY TIWARI (Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)) /

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14 **Signature/Thumb Impression of the complainant / (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान):**

15 **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station: (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VINAY TIWARI

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known / (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No. (क्र. स.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दांत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Disclaimer- This is a system generated copy of original F.I.R.

Item No. 10 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 117/2023

Gaurav Kumar Gupta Applicant

Versus

State of Chhattisgarh Respondent

Date of hearing: 27.03.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by e-mail

WPS Office

ORDER

1. Grievance in this application is against illegal mining in Village Hastinapur, Gram Panchayat Pipariya, Tehsil Manendergarh District Koria, Chhattisgarh at Khasra No. 299 area 0.83 ha. and at Khasra No. 15 area 2.00 ha, beyond the lease area by Radhika Tiwari w/o Krishna Murari Tiwari and Krishna Murari Tiwari. It is stated that illegal blasting is also being done in the course of the mining. Mining is without complying with the environmental norms and EC conditions requiring plantations. The activity is also resulting in pollution of Hasdev river.

2. In view of the above, let a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Koria look into the allegations and take remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. A factual and action taken report in the matter may be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form

of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with advance copy to the Project Proponents for their response, if any.

List for further consideration on 12.07.2023.

A copy of this order alongwith complaint be sent to the CPCB, State PCB and District Magistrate, Koria, Chattisgarh by email for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 27, 2023
Original Application No. 117/2023
A

WPS Office

230

क्या विधायक प्रतिनिधि को विधायक के ही चहेते नपा उपाध्यक्ष ने पहुंचाया जेल?

- रवि सिंह -
एमसीबी,18 मई 2023
(घटती-घटना)।

नवीन एमसीबी जिला मनेंद्रगढ़ से एक मामला सामने आया है जिसमे मनेंद्रगढ़ विधायक के प्रतिनिधि एवं उनके खास सिपहसालार सहित उसके भाई को जेल जाना पड़ा है और इसके पीछे की मुख्य वजह सूत्रों के अनुसार नगरपालिका उपाध्यक्ष साथ ही मनेंद्रगढ़ विधायक के ही खास लोगों से विधायक प्रतिनिधि की आपसी रंजिश है और यही मुख्य वजह बनी जेल जाने की। पूरे मामले में नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कुछ कर्मचारियों का सहारा विधायक प्रतिनिधि पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिए गया है यह भी बातें सामने आ रही हैं और लेकिन वास्तविक बात क्या है यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

वैसे पूरे मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेंद्रगढ़ द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है की विधायक प्रतिनिधि सहित उसके भाई ने नगरपालिका मनेंद्रगढ़ की दीवाल को गिराया है और जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है इसी आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। बता दें की मामला 4 मई को पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तारी 17 मई को हुई है। विधायक प्रतिनिधि सहित उसके भाई पर भादवि की धारा 427,34,3 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया है।

» क्या विधायक प्रतिनिधि को जेल भेजने व आपसी लड़ाई को भुनाने नपा उपाध्यक्ष ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर्मचारियों का लिया सहारा?

» मनेंद्रगढ़ विधायक के प्रतिनिधि शासकीय दीवार तोड़ने पर गए जेल पर वही शासकीय दीवारों पर प्रचार करने वाले कब जाएंगे जेल?

विधायक प्रतिनिधि एवम नपा उपाध्यक्ष के बीच ऐसी रंजिश की एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने किसी हद तक जाने दोनो तैयार

बताया जा रहा है की विधायक प्रतिनिधि एवम नगर पालिका उपाध्यक्ष मनेंद्रगढ़ के बीच की आपसी रंजिश काफी दिनों से चली आ रही है, एक तरफ जहां विधायक प्रतिनिधि नगर पालिका उपाध्यक्ष के गिट्टी क्रेशर के पीछे हांथ धोकर पड़े हुए हैं और उसे अवैध बताकर उसे हटाने की मांग कर रहे हैं वहीं इसी से क्षुब्ध होकर नगर पालिका उपाध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि के पीछे हांथ धोकर पड़े हुए हैं और विधायक प्रतिनिधि को वह नुकसान पहुंचाने कोई मौका गवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए नगर पालिका मनेंद्रगढ़ की तरफ से विधायक प्रतिनिधि के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा गया है।

छाती पिटकर नगर पालिका उपाध्यक्ष बता रहें हैं की विधायक प्रतिनिधि को जेल भेजने की पीछे उन्हीं का हांथ

सूत्रों की माने तो एवम शहर की चर्चाओं के अनुसार यह बात सामने आ रही है की खुद नगर पालिका उपाध्यक्ष छाती पीटकर शहर में यह ऐलान कर रहें हैं की विधायक प्रतिनिधि को जेल उन्ही ने भेजा है। उनका यह भी कहना है जो सूत्रों अनुसार जानकारी मिली है की विधायक प्रतिनिधि उनके क्रेशर के पीछे पड़ा था इसलिए उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा है और जेल जाना पड़ा है।

नगर पालिका उपाध्यक्ष मनेंद्रगढ़ के गिट्टी केशर को लेकर होती रही है शिकायत

बताया जा रहा है की नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष का गिट्टी क्रेशर जो जिला मुख्यालय के साथ ही जिला संयुक्त कार्यालय के बिल्कुल समीप है को लेकर कई बार विधायक प्रतिनिधि ने शिकायत की है जिसमे यह आरोप लगाया गया है की अवैध भंडारण ,उत्खनन साथ ही ब्लास्टिंग क्रेशर में हो रही है साथ ही प्रदूषण भी क्रेशर से हो रहा है। विधायक प्रतिनिधि गौरव गुप्ता की शिकायत पर जांच टीम भी गठित हुई और आकर उसने जांच भी किया लेकिन जांच में कुछ की कार्यवाही नहीं हुई जबकि लोगों को भी विश्वास था की अवैध रूप से संचालित गिट्टी क्रेशर पर कार्यवाही होगी और उसे बंद किया जायेगा।

विधायक प्रतिनिधि व नपा उपाध्यक्ष मनेंद्रगढ़ विधायक के लिए बने सर दर्द

मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जयसवाल के खास है गौरव गुप्ता जिस वजह से उन्हें विधायक प्रतिनिधि भी बनाया गया था और वही मनेंद्रगढ़ नापा उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी भी काफी खास है, विधायक के इन दोनों खास आदमी आपस में ही भिड़ चुके हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, वही विधायक अपने प्रतिनिधि का सपोर्ट करेंगे या फिर अपने नापा उपाध्यक्ष का वह भी इस मामले में फंस चुके हैं पर सवाल यह भी है कि विधायक हैं चाहते तो इन दोनों के बीच की मतभेद को खत्म कर दुश्मनी भी खत्म करा सकते थे पर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है विधायक खुद ही नहीं चाह रहे कि यह मामला खत्म हो यही वजह है कि मामला बढ़ता नजर आ रहा है और यह खत्म होने का नाम नहीं लेगा, सूत्रों का कहना है कि विधायक जहां नापा उपाध्यक्ष के क्रेशर को बचाने के लिए उनके साथ घूम रहे हैं पर वही अपने विधायक प्रतिनिधि को जेल जाने के लिए छोड़ दिया है।

संपत्ति तोड़ने के आरोप में विधायक प्रतिनिधि जेल चले गए,शासकीय संपत्ति पर प्रचार करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं?

नगर पालिका क्षेत्र मे निर्मित शासकीय दीवाल को तोड़ने के आरोप में विधायक प्रतिनिधि पर अपराध पंजीबद्ध हो गया और वह जेल भी चलेगा और वही नेशनल हाईवे सहित कई शासकीय भवनों के दीवार पर प्रचार किसी पार्टी का हो रहा है उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, नेशनल हाईवे के पुल पर खूब प्रचार प्रसार किया गया था उस मामले में भी खूब हो हल्ला हुआ, भाजपा ने आवेदन भी दिया पर अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, वहां पर मौजूद एक नेताजी सौजन्य तौर पर गाली गलौज भी की है फिर भी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ अब ऐसे में सवाल यह उठता है क्या मुंह देखा देखी कार्यवाही मनेंद्रगढ़ में होती है?

05|05|2023

प्रति्

पुलिस महानिदेशक महोदय

पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय – नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा कूटरचित साजिस के तहत मुझे एवं मेरे परिवार को फसानें की कोशिश एवं व्यक्तिगत हानि पहुंचाने के भय के संबंध में।

महोदय्

निवेदन है कि मेरे द्वारा नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पत्थर खदानों मे अवैध उत्खनन परिवहन एवं अन्य अनियमितता के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)नई दिल्ली द्वारा मामला पंजीबद्व कर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, एवं जांच जारी है जिससे नगरपालिका उपाध्यक्ष क्षुब्ध एवं कुंठित हैं।

उनका पूर्णतः प्रभाव नगरपालिका प्रशासन पर है क्योंकि वह वर्तमान में नगरपालिका के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा नगरपालिका परिषद के माध्यम से या अन्य तरीके से कूट रचना कर एवं साजिस के तहत फसाने या झूठा अपराध दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझ पर या मेरे परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के झूठे अपराध में फंसाया जा सकता है, एवं अन्य घटना घटित कराकर जान माल की क्षति पहुंचायी जा सकती है, एवं कोई भी व्यक्तिगत हानि पहुंचायी जा सकती है। जिससे कि मै और मेरा परिवार भयभीत व पूरी तरह से डरा हुआ है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है, कि मेरी एवं मेरे परिवार के सुरक्षा हेतु उचित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

प्रतिलिपि

1 पुलिस महानिरीक्षक महोदय संभाग अंबिकापुर को सूचनार्थ।

2. पुलिस अधिक्षक महोदय मनेन्द्रगढ (एम.सी.बी.)

3 अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, महोदय मनेन्द्रगढ़, (एम.सी.बी.)

4 कोतवाली मनेन्द्रगढ़ जिला एम0सी0बी0 ।

05/05/2023

आवेदक

गौरव कुमार गुप्ता

पुरानी बस्ती मनेन्द्रगढ़

जिला एम0सी0बी0

मो0 9407744830

संलग्न

1 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)नई दिल्ली के आदेश की प्रति ।

2 कृष्ण मुरारी तिवारी के पत्थर खदानों के खिलाफ की गई शिकायतों की छायाप्रति ।

O/C

Gmail

gaurav gupta <imgolu.in@gmail.com>

प्रति,

complain letter

gaurav gupta <imgolu.in@gmail.com>
To: igp-surguja.cg@gov.in, sp-mcb@cg.gov.in

Fri, May 5, 2023 at 8:29 PM

GRV_merged.pdf
13704K

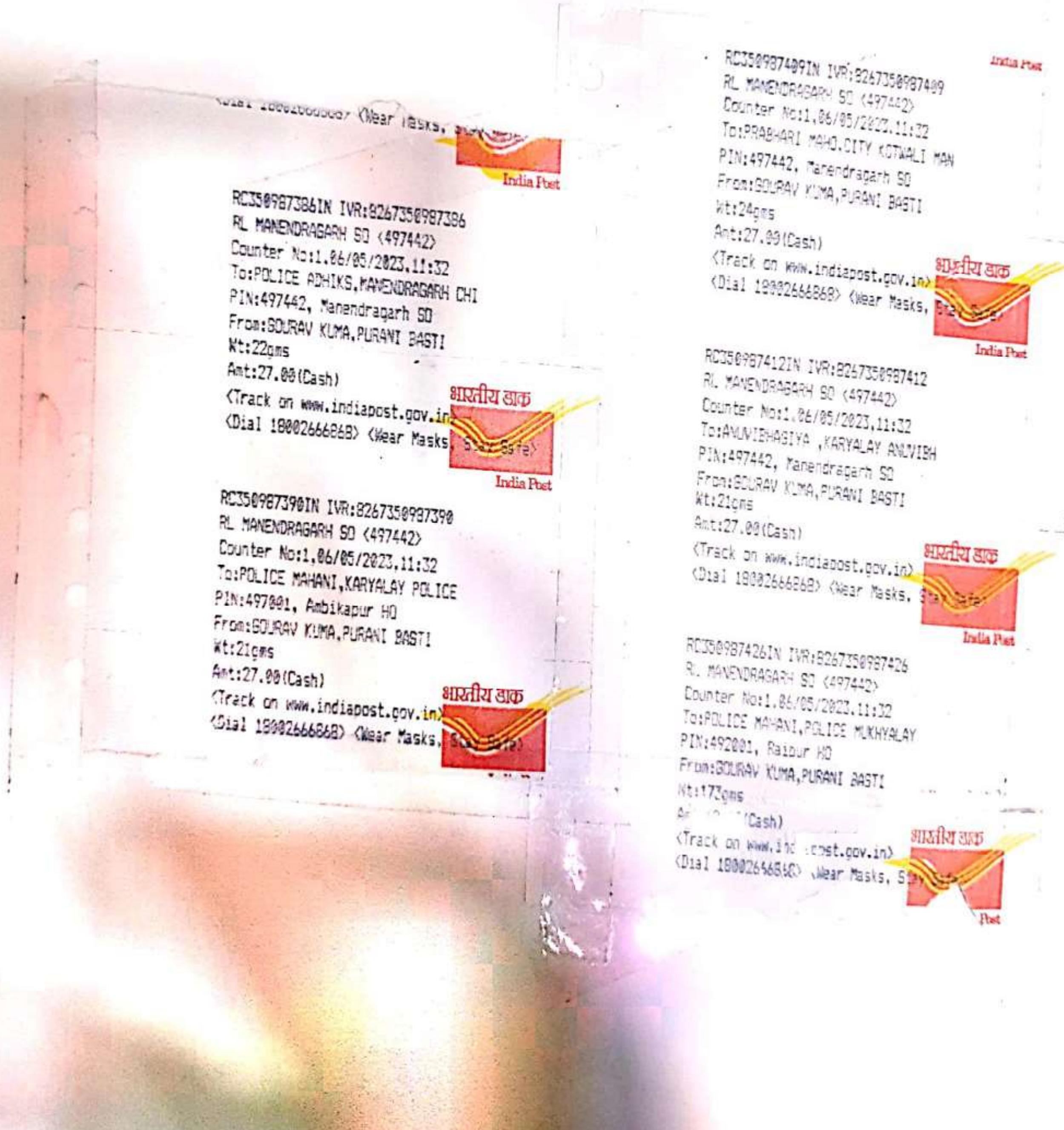

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

India Post

RC350987386IN IVR:8267350987386
RL MANENDRAGARH SO <497442>
Counter No:1,06/05/2023,11:32
To:POLICE ADHIKS,MANENDRAGARH CHI
PIN:497442, Manendragarh SO
From:GOURAV KUMA,PURANI BASTI
Wt:22gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

RC350987390IN IVR:8267350987390
RL MANENDRAGARH SO <497442>
Counter No:1,06/05/2023,11:32
To:POLICE MAHANI,KARYALAY POLICE
PIN:497001, Ambikapur HO
From:GOURAV KUMA,PURANI BASTI
Wt:21gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

India Post

RC350987409IN IVR:8267350987409
RL MANENDRAGARH SO <497442>
Counter No:1,06/05/2023,11:32
To:PRABHARI MAHO,CITY KOTWALI MAN
PIN:497442, Manendragarh SO
From:GOURAV KUMA,PURANI BASTI
Wt:24gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

RC350987412IN IVR:8267350987412
RL MANENDRAGARH SO <497442>
Counter No:1,06/05/2023,11:32
To:ANUVIBHAGIYA ,KARYALAY ANUVIBH
PIN:497442, Manendragarh SO
From:GOURAV KUMA,PURANI BASTI
Wt:21gms
Amt:27.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

RC350987426IN IVR:8267350987426
RL MANENDRAGARH SO <497442>
Counter No:1,06/05/2023,11:32
To:POLICE MAHANI,POLICE MUKHYALAY
PIN:492001, Raipur HO
From:GOURAV KUMA,PURANI BASTI
Wt:173gms
Am[illegible](Cash)
<Track on www.ind[illegible]post.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Gmail

gaurav gupta <imgolu.in@gmail.com>

complain letter

gaurav gupta <imgolu.in@gmail.com>
To: dgp.chhattisgarh@yahoo.co.in

Fri, May 5, 2023 at 8:38 PM

GRV_merged.pdf
13704K